राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– **107/2015**

क्रान्ति कुमार रावत

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
3. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटडा, जिला उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :– 03.07.2024

समक्ष :– **अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)**
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री कुणाल रावत एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री राजेश कुमार निगम, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 02.12.2015 (अनुलग्नक–11) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी से 125000/– एवं 137500/– रूपये की वसूली किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी से उक्त वसूली इस आधार पर की जा रही है कि अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत बेकरीया एवं ग्राम पंचायत क्यारी में सचिव रहते हुए ग्राम पंचायतों द्वारा विभाग की विभिन्न योजनाओं में सोलर लाईट क्रय की है, जो व्यय अनियमित होना मानते हुए वसूली की कार्यवाही की गयी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि वसूली किये जाने के पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। वसूली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। ऐसे में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाते हुए अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही की गयी है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से इस अपील में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 02.12.2015 जारी किये जाने से पूर्व दिनांक 27.06.2014 को स्पष्टीकरण करने हेतु नोटिस दिया गया था। ऐसे में यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था।
5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही किये जाने को विधि विरूद्ध होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)